(3)

(1)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- 2018 निगरानी- 5837/2018/मुरैना/भू.रा.

1- **बृजेश कुमार** पुत्र श्री रतन लाल
2- **श्याम** पुत्र श्री रतन लाल
3- **मनीश** पुत्र श्री मनोज
समस्त जाति- तमोली (यादव)
समस्त निवासी- वार्ड क्रमांक- 8, सबलगढ़,
जिला मुरैना (म.प्र.)

......निगरानीकर्तागण

श्री राजीव रघुवंशी द्वारा आज दि. 26-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 26-9-18

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.08.2018 जो न्यायालय आयुक्त, चम्बल सम्भाग, मुरैना (म.प्र.) (डॉ. एम.के. अग्रवाल) द्वारा प्रकरण क्रमांक- 0103/अपील/2016-2017 वउन्वान बृजेश कुमार आदि बनाम म.प्र. शासन में पारित कियाग या, को अपास्त किए जाने बावत्।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न **प्रकार** प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

1- यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक- 448 रकवा 4.75 आरे, स्थित कस्बा सबलगढ़, मुरैना के 1.20 आरे भूमि पर **निगरानीकर्तागण** का विधिवत् आधिपत्य होकर विगत कई वर्षो से **कृषि कार्य** करते चले आ रहे हैं तथा विधिवत् रूप से शासन को **प्रतिवर्ष** लगान अदा करते रहे हैं। उक्त कृषि भूमि श्री मुरली **मनोहर** एवम् महादेव मन्दिर से लगी भूमि होकर समवत् 2001 में तत्कालीन मन्दिर माफीदारान भास्कर राव मुर्न्शी राजे द्वारा उक्त **कृषि भूमि** पर कृषि कार्य करने हेतु निगरानीकर्तागण के पूर्वजों को 187 रुपए 50 पैसे लगान पर पट्टे पर दी गई थी। इस प्रकार **निगरानीकर्तागण**

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व ... प्रति 484 ... 25/9/18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5837/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/12/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील निरस्त की है कि पट्टे संहिता के प्रावधान के अनुसार सही नहीं हैं। प्रश्नाधीन भूमि मंदिर मुरली मनोहरजी महादेवजी मंदिर प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामी माफी देवस्थान की भूमि है एवं माफी औकाफ की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को वैद्यता एवं पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त तथ्य की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिनमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	